कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब व यू.टी. चंडीगढ़ OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E) PUNJAB & UT CHANDIGARH

<u>कार्यालय आदेश</u> OFFICE ORDER

कार्यालय आदेश/प्रशासन-I/ए/2022-2023/150 No. Admn I/A/2022-2023/150

दिंनाक:- 28.07.2022

Date:- 28.07.2022

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1027-स्टाफ(हकदारी-I)/78-2020 दिनांक 15.10.2020 के अनुपालन में संशोधित सुनिश्चित वृत्ति प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सेवारत अधिकारी को उनके नाम के सन्मुख अंकित तिथि एवं वेतनमान में वितीय उन्नयन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है:-

The competent authority is pleased to grant Financial Upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme to the following Sr. Accounts Officer in terms of Headquarters' office letter No. 1027-Staff (Entt-I)/78-2020 dated 15.10.2020:-

क्रमांक Sr. No.	नाम सर्व श्री/श्रीमती Name S/Sh/Ms.	पदनाम Designation	एम.ए.सी.पी.एस की तिथि Date of grant of MACPS	ए.सी.पी./एम.ए.सी. पी.एस की संख्या Which MACPS due	वेतनमान Level
1.	गुरपरताप सिंह Gurpartap Singh	वरि.ले.अधि. Sr. AO	24.07.2022	एम.ए.सी.पी-2 2 nd MACP	लेवल-11 Level-11

संबधित अधिकारी को उक्त लाभ पूर्ण रूप से वैयक्तिक आधार पर प्रदान किया गया है तथा उनकी वर्तमान संवर्ग में वरिष्ठता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है I उक्त लाभ का सम्बन्ध सम्बन्धित अधिकारी के वास्तविक/कार्यात्मक प्रोन्नति से नही है I

अगले वेतन वृदि का निर्धारण किये जाने का विकल्प इस योजनान्तर्गत नियम FR 22 (I) a (i) के अनुसार उपलब्ध रहेगा I संबधित अधिकारी को इस कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंतर्गत उक्त हेतु विकल्प देना होगा I

The upgradation is personal to the officer and has no relevancy to their seniority position vis-a-vis other officers in the cadre. There shall be no change in the designation, classification or higher status.

The pay in the level 10 to 11 will be fixed under the provision of FR 22 (I) (a) (i). The officer may exercise her option within one month from the date of issue of this order.

हस्ता/-उप महालेखाकार (प्रशासन) Deputy Accountant General (Admn)

दिनांक: 28.07.2022

क्र. संख्या. प्रशासन-I/एम.ए.सी.पी./2022-2023/1655-1660

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:--